

पच्ची डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला  
हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० 323/2024

1. जगतारसिंह पुत्र स्व० हाकमसिंह

2. केवलसिंह पुत्र तारासिंह

3. राजकौर बेवा स्व० प्यारसिंह

4. कुलदीप सिंह

5. सुरजीत सिंह - पि० स्व० प्यारसिंह

6. सुखदीप सिंह

अकवाम कुम्हार निवासीयान साबुआना

तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

बनाम्

1. गुरमेल सिंह माता गुड्डी उर्फ नसीब कौर पुत्री स्व० हाकमसिंह पत्नी सुखदेव सिंह जाति कुम्हार निवासी टुठियावाली तहसील व जिला मानसा पंजाब।

2. गोलो उर्फ गोली पुत्री स्व० हाकमसिंह जाति कुम्हार निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

3. छिन्द्र उर्फ छिन्द्रो उर्फ कर्मजीत कौर पुत्री स्व० हाकमसिंह पत्नी हरनेकसिंह जाति कुम्हार निवासी हाकूवाला तहसील मलोट जिला श्रीमुक्तसर साहिब पंजाब।

4. तारासिंह पुत्र स्व० हाकमसिंह

जाति कुम्हार निवासी साबुआना तहसील टिब्बी

5. कोमलजीत कौर पुत्री तारासिंह

जिला हनुमानगढ़

6. अमरदीप कौर पुत्री तारासिंह

7. जसप्रीत कौर पुत्री तारासिंह पत्नी जगतारसिंह जाति कुम्हार निवासी सकताखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा हरि०।

8. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण


डिक्री

दिनांक 21/5/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री अब्दुल सतार जोईया व प्रतिवादी वकील सुखवीर सिंह अंतिम निपटारे/निर्णय अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने

के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चक 1 के. एच. आर पटवार हल्का साबुआना के जमाबन्दी खाता सं० 62/33 में वर्णित कुल 1.518 है० आराजी में हाकमसिंह के नाम से दर्ज 1/3 हिस्सा, चक 3 केएचआर पटवार हल्का साबुआना के जमाबन्दी खाता सं० 9/10 की कुल 0.506 है० में हाकम सिंह के नाम से दर्ज 1/3 हिस्सा तथा चक 3 केएचआर के जमाबन्दी खाता सं० 121 /81 में वर्णित कुल 1.7330 है० आराजी में हाकमसिंह के नाम से दर्ज 578/1733 हिस्सा की आराजी, इस प्रकार से तीनों खाता में हाकमसिंह के नाम से दर्ज आराजी के 1/3 हिस्सा की आराजी का वादी जगतारसिंह, 1/3 हिस्सा की आराजी का वादी केवलसिंह तथा बाकी 1/3 हिस्सा की आराजी के वादी सं० 3 ता 6 व०हि०व० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है उपरोक्त वर्णित चको में हाकमसिंह का नाम कलमजन किया जावे व चक 3 केएचआर जमाबन्दी खाता सं० 50/76 की कुल 5.1420 है० आराजी मे वादी जगतारसिंह को 4/21, वादी केवलसिंह को 4/21 हिस्सा तथा वादी सं० 3 ता 6 को 1/3 हिस्सा में व०हि०व० का व चक नं० 1 एसवीएन के खाता सं० 62/93 की कुल 1.6440 है० आराजी में वादी जगतार सिंह को 4/21, वादी केवलसिंह को 4/21 व वादी सं० 3 ता 6 को 1/3 हिस्सा व०हि०व० तथा चक नम्बर 3 एस.वी.एन के खाता सं० 74/100 में कुल 1.0120 है० नहरी आराजी में वादी जगतार सिंह को 4/21, वादी केवलसिंह को 4/ 21 व वादी सं० 3 ता 6 को 1/3 हिस्सा व०हि०व० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं० 3 के. एच. आर के खाता सं० 50/76 मे से गुडी, गोलो, छिन्द्रो, प्यारासिंह, बलवीरकौर का नाम कलमजन, चकनं० 1 एस.वी.एन के खाता सं० 62/93 में गुडि, गोलो, छिन्द्र, प्यारासिंह, बलवीर कौर व चकनं० 3 एसवीएन के खाता सं० 74 /100 में से गुडडी, गोलो, छिन्द्र, प्यारासिंह, बलवीर कौर का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिए जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/5/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(सत्यनारायण एवं  
उषा देवी अधिकारी R.A.S.)  
पदेन सहायकी कलक्टर (राजस्व)  
टिब्बी।